तहत चाही गई सूचना के संबंध में रेफरेन्स तैयार करने हेतु लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा दिनांक 22.11.2022 को तहसीलदार, राजसमंद को अग्रीम कार्यवाही हेतु लिखा जा चुका है तहसीलदार राजसमंद को निर्देशित किया जाता है नियमानुसार रेफरेंस प्रकरण तैयार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए उक्त रेफरेंस प्रकरण की प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद , तहसीलदार राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री पुरूषोतम दवे ग्राम बामनटुकंडा तहसील राजसमंद जिला राजसमंद (राज0)
– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा–अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 95/2022**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 16.01.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये पत्रांक एफ 1( ) सू.अ.ए 05/2022/1064–1066 दिनांक 28.12.2022 से प्राप्त रिपोट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद से संबंधित नहीं होकर उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद की होने के कारण अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन पत्रांक 891–892 दिनांक 21.10.2022 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद को अन्तरण किया जाकर जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति डाक से पृष्ठाकिंत की गई है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा पत्रांकः सू.अ.,05/2022/24 दिनांक 13.1.2023 एवं तहसीलदार, राजसमंद को संबोधित पत्रांक राजस्व/2022–23/2100 दिनांक 22.11.2022 अनुसार प्रार्थी के द्वारा आवेदन में चाही गयी सूचना ग्राम वासियान द्वारा श्री पन्नालाल पिता श्री सुखलाल तेली को ग्राम करेडा की आराजी नं. 777 किस्म नदी में दिनांक 04.02.2020 को नामान्तरण सं. 418 से जो कुंआ नियमन किया गया है। उसे निरस्त कराते हुए उक्त कुंए की खातेदारी निरस्त कराना चाह रहे है। उक्त कुंए के वर्तमान आ.नं. 1187/777 रकबा 0.05 बीघा किस्म आ.चाह होकर राजस्व रेकार्ड में श्री बाबूलाल पिता श्री पन्नालाल 1/2 लक्ष्मण लाल पिता श्री पन्नालाल 1/2 तेली सा. बामनटुकड़ा खातेदार के नाम दर्ज है। चूंकि उक्त आ.चाह मौके पर नदी के किनारे एवं राजस्व रेकार्ड में किस्म नदी में से आवंटन किया गया है जो अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से तत्कालीन समय में उक्त प्रकरण में रेफरेन्स पेश करने के संबंध में अग्रीम कार्यवाही संपादित नहीं होने से लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद द्वारा दिनांक 22.11.2022 को प्रकरण में नियमानुसार रेफरेन्स प्रकरण तैयार करने हेतु तहसीलदार, राजसमंद को लिखा जा चुका है। लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद व लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)